

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा हत्या का 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व डण्डा बरामद

मु0अ0सं0-188/2021, धारा - 302/307/323/504/34 भादवि0 दिनांक घटना- 26.03.2021
समय -22.30, दिनांक सूचना-26.03.2021, समय- 23.30 बजे, घटनास्थल:-ग्राम मिर्जापुर बेला
थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, दिनांक गिरफ्तारी व बरामदगी-05.04.2021 समय -6.05
बजे, गिरफ्तारी स्थल:- ग्राम दरबाडा थाना चांदपुर, बरामदगी स्थल- जंगल ग्राम दरवाडा थाना
चांदपुर जनपद बिजनौर

दिनांक 26.03.2021 को वादी श्री शिवचरन सिंह पुत्र स्व0 हरवंश सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0-188/2021, धारा -302/307/323/504/34 भादवि0 बनाम 1.सुधीर पुत्र पुखराज सिंह 2.करुण कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह 3.खिवेन्द्र सिंह उर्फ लकी पुत्र ऊदल सिंह 4.नरेश कुमार पुत्र कलवा निवासीगण ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया था जिसके दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर के निर्देशन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर बिजनौर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी चांदपुर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन करते हुए आज दिनांक 05.04.2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त 1. करुण पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को ग्राम दरबाडा धनौरा रोड से गिरफ्तार किया गया तथा उक्त अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डंडा की बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.करुण पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं व मृतक सौरभ उर्फ भीम पुत्र शिवचरन सिंह दोनों ग्राम मिर्जापुर बेला के रहने वाले हैं मैंने अपने साथियों सुधीर कुमार पुत्र पुखराज सिंह, नरेश कुमार पुत्र कलवा सिंह व खिवेन्द्र सिंह उर्फ लक्की पुत्र ऊदल सिंह के साथ मिलकर शराब के नशे में दिनांक 26.03.2021 को सौरभ उर्फ भीम व उसके परिवार के लोगों के साथ जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे व चाकू से मारपीट की थी हम लोगों से सौरभ की कोई दुश्मनी नहीं थी हम लोग शराब के नशे में थे हम लोगों की तू मैं होने लगी तथा बात इतनी बढ़ गयी कि सुधीर के हाथ में लिये चाकू व हमारे हाथ में डण्डों से हमने सौरभ पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया जिसकी आवाज सुनकर उसका परिवार भी घर से बाहर आ गया तथा हम लोगों द्वारा सौरभ व उसके परिवार जन पर लाठी डण्डे व चाकू से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया तथा सुधीर ने सौरभ को सीने में चाकू मार दिया जिससे सौरभ की मौके पर ही मौत हो गयी तब हम धमकी व गाली गलोंच करते हुए लाठी व चाकू लेकर गांव से भाग निकले थे कहीं पुलिस हमें न पकड ले।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक अदद डण्डा

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1.मु0अ0सं0-188/2021, धारा -302/307/323/504/34 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास:-

करुण पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर

1.मु0अ0सं0-188/2021, धारा -302/307/323/504/34 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- थाना चांदपुर:-
- 1.श्री पंकज तोमर थाना प्रभारी चांदपुर
 - 2.हे0का0 02 महीपाल सिंह थाना चांदपुर
 - 3.का0 327 लोकेन्द्र सिंह थाना चांदपुर
 - 4.का0 1859 विक्रम सिंह थाना चांदपुर



थाना किरतपुर- आज दिनांक 05.04.2021 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 35/21 धारा 323/326 में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1-कदीर पुत्र हनीफ 2-आलमगीर पुत्र कदीर 3-शादाब पुत्र मकबूल 4-अनस पता मोहल्ला राधगान कस्बा व थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया



थाना स्योहारा- दिनांक 04.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 187/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1-महबूब आलम पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी पूरनपुर थाना स्योहारा 2-फैजान पुत्र मोहम्मद हामिद पता उपरोक्त 3-मोहम्मद दानिश पुत्र रियाजुद्दीन निवासी बुढ़नपुर थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना किरतपुर- पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत थाना प्रभारी किरतपुर व आबकारी निरीक्षक द्वारा आज दिनांक 05.04.2021 को थाना किरतपुर पर ग्राम प्रहरी (चौकीदार) के साथ गोष्ठी आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।





थाना नूरपुर- थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-मनोज उर्फ मोनू पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम मोरना 2-मोहम्मद आरिफ पुत्र अमीरुद्दीन निवासी फजलपुर ढाकी थाना हल्दौर 3-मोहम्मद अफसर पुत्र शफीक अहमद निवासी ग्राम सदनपुर थाना चांदपुर 4-शहजाद आलम पुत्र मोहसिन निवासी ग्राम औलियापुर थाना हल्दौर 5-इंतजार पुत्र इफ्तकार अली निवासी फजलपुर ढाकी थाना हल्दौर 6-राजवीर सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम फजलपुर ढाकी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



थाना नहतौर- आज दिनांक 05.04.2021 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 99/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला नौधा कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया।



थाना स्योहारा- आज दिनांक 05.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त अफजाल अहमद पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा कस्बा व थाना नगीना, जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



थाना नहतौर- आज दिनांक 05.04.2021 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 100/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त वेद प्रकाश पुत्र सिंबू सिंह निवासी ग्राम सराय का जियान थाना नहतौर, जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया।



दिनांक 05.04.2021



आज दिनांक 05.04.2021 को थाना नूरपुर पर गठित एण्टी रोमियों टीम द्वारा बस स्टैण्ड/बाजार/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।



आज दिनांक 05.04.2021 को थाना किरतपुर पर गठित एण्टी रोमियों टीम द्वारा स्कूल/कॉलेज/पार्क/बाजार तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बेवजह घूम रहे मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



आज दिनांक 05.04.2021 को जनपदीय प्रभारी एण्टी रोमियों टीम द्वारा नगर बिजनौर में रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड/बाजार/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।

